68072/2023/REGULATION-FSSAI

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052023-245867
CG-DL-E-13052023-245867

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2023/वैशाख 22, 1945
No. 319] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2023/ VAISAKHA 22, 1945

## भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2023

**फा.सं.मानक/एसपी-21/टी(अल्कोहल-6).**—खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में आगे संशोधन,जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार एतदद्वारा प्रकाशित की जाती है और एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002 को अथवाregulation@fssai.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।

### प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 के, -

(1) भाग-1 में,

(क) 'परिभाषाएँ' से संबंधित विनियम 1.2 में, उप-विनियम 1.2.12 के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"1.2.12क. "रेडी-टू-ड्रिंक/कम अल्कोहालिक पेय पदार्थ कम अल्कोहल वाले सुवासीकृत पेय पदार्थों को कहा जाएगा, जिनमें अल्कोहलकी 0.5 से 8.0% आयतन मात्रा हो और जिन्हें स्पिरिट या स्पिरिट के मिश्रण या बेस के रूप में वाइन और बियर के अलावा किसी भी ऐल्कोहोलिक पेय पदार्थ से, उसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (एफपीएस एंड एफए) विनियम 2011 के अधीन अनुमत प्राकृतिक/ प्राकृतिक जैसा/कृत्रिम सुवासकारक और/ या खाद्य सहयोज्य मिलाकर; और/या फल/सब्जी का रस चीनी/नमक के साथ या उसके बिना मिलाकर और कार्बोनेशन करके या बिना किए बनाया गया हो। कार्बोनेटेड रेडी-टू-ड्रिंक (आरटीडी)/ कम अल्कोहालिक पेय पदार्थों के मामले में, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनेट किया जाएगा। हालांकि, कार्बोनेटेड आरटीडी/कम अल्कोहालिक पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनतम एक आयतन होनी चाहिए। ये पेय पदार्थ सारणी-4 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे]"।

(ख) विनियम 1.3 में, उप-विनियम 1.3.9 में, "जिस अल्कोहालिक पेय पदार्थ में " से शुरू होने वाले और "सारणी-4 की अपेक्षाएँ" के साथ समाप्त होने वाले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"जिस अल्कोहालिक पेय पदार्थ में अल्कोहल की आयतन मात्रा 0.5 प्रतिशत से अधिक हो किंतु 8.0 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, उन्हें रेडी-टू-ड्रिंक/कम अल्कोहालिक पेय कहा जाएगा। ये पेय पदार्थ विनियम 1.2 के अधीन दी गई परिभाषा और सारणी-4 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

ऐसे उत्पादों के संबंध में उत्पाद का नाम/संघटक/कच्ची सामग्री की जानकारी इन विनियमों के अनुबंध-1 में दी गई है, जो परिपूर्ण नहीं है।"

(2) भाग 2 में, देशी शराब से संबंधित विनियम 2.2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"2.2 देशी शराब/भारतीय शराब: देशी शराब/भारतीय शराब या स्पिरिट कृषि मूल के किण्वन कार्बोहाइड्रेट के आसुत से प्राप्त शराब है। देशी शराब / भारतीय शराब निम्न प्रकार की भी हो सकती हैं:

2.2.1 सादा देशी शराब / सादा भारतीय शराब: सादा देशी शराब / सादा भारतीय शराब किण्वित गुड़, गुड़, अनाज, आलू, कसावा, फल, नारियल और खजूर के पेड़ के रस या अर्क, महुआ के फूल या कृषि मूल के कोई अन्य कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऐल्कोहोलिक आसव से बनाया जाएगा।

2.2.2 मिश्रित देशी शराब / मिश्रित भारतीय शराब: मिश्रित देशी शराब / मिश्रित भारतीय शराब ऐल्कोहोलिक आसव, परिशोधित स्पिरिट या न्यूट्रल स्पिरिट के मिश्रण को कहा जाएगा।

देशी शराब / भारतीय शराब, भाग 1 में विनिर्दिष्ट सामान्य अपेक्षा और सारणी - 1 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप भी होगी। ऐसे उत्पादों के संबंध में उत्पाद का नाम / संघटक/ कच्ची सामग्री की जानकारी इन विनियमों के अनुबंध -1 में दी गई है, जो परिपूर्ण नहीं है।”

(3) भाग-3 में, विनियम 3.1 में,

(क) "एक मौसम की वाइन की उपज" से शुरू होने वाले और "विंटेज वाइन" के साथ समाप्त होने वाले परंतुक के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"ऐसे उत्पादों के संबंध में उत्पाद का नाम/संघटक/कच्ची सामग्री की जानकारी इन विनियमों के अनुबंध-1 में दी गई है, जो परिपूर्ण नहीं है।"

(ख) उप-विनियम 3.1.4 में, शीर्षक "अंगूर के अलावा अन्य फलों से प्राप्त वाइन" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"शहद से निर्मित वाइन सहित फल से बनी वाइन (अंगूर से निर्मित वाइन के अलावा)"।

(ग) उप-विनियम 3.1.4 में, खंड 3.1.4.3 के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित कियाजाएगा, अर्थात्, -

"3.1.4.4 शहद से बनी वाइन/मीड: शहद से बनी वाइन/मीड किसी अन्य कार्बोहाइड्रेट स्रोत को मिलाए बिना खमीर द्वारा शहद के जलीय घोल के किण्वन से उत्पादित वाइन होती है। यह वाइन सारणी-2 में दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होगी।"

(घ) उप-विनियम 3.1.5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"अन्य कृषि और पौधे संबंधी स्रोतों से प्राप्त वाइन (डब्ल्यूएपीएस)

अन्य कृषि और पौधे संबंधी स्रोतों से प्राप्त वाइन, चीनी या गुड़ मिलाकर या बिना मिलाए रस या अर्क या साबुत अनाज या अन्य कृषि और पौधे संबंधी स्रोतों के सामान्य ऐल्कोहोलिक किण्वन द्वारा उत्पादित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:"

(ङ) वाइन आधारित पेय से संबंधित उप-विनियम 3.1.6 में, "या कोई अन्य अनुमोदित पदार्थ" शब्दों के साथ समाप्त होने पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"वाइन आधारित पेय कार्बोनेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी।"

(5) भाग 4 में, ड्रॉट बियर से संबंधित विनियम 4.2 में, क्राफ्ट बियरसे संबंधित उप-विनियम 4.2 (1) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"4.2 (1) (i) नाइट्रो क्राफ्ट बियर- नाइट्रो क्राफ्ट बियर $CO_2$ और $N_2$ गैस के मिश्रण से बनी क्राफ्ट बियर को कहते हैं।"

(6) सारणी संख्या 2 में,

(क) स्तंभ संख्या 7, शीर्षक में, "अंगूर वाईन के अलावा फलों की वाईन " शब्दों के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, - "शहद से निर्मित वाइन सहित"।

(ख)स्तंभ संख्या 5, शीर्षक “ देशी शराब या सादा देशी शराब” को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा: देशी शराब / भारतीय शराब या सादा देशी शराब / सादा भारतीय शराब।

(ग) स्तंभ संख्या 6, पंक्ति संख्या 1 में, “मिश्रित देशी शराब” में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा: मिश्रित देशी शराब/मिश्रित भारतीय शराब

(7) सारणी 2 में, "वाइन आधारित पेय पदार्थ" शब्दों से शुरू होने वाले और "इथाईल ऐल्कोहल कंटेंट" के साथ समाप्त होने वाले फुट नोट के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, -

"वाइन आधारित पेय पदार्थ विशिष्ट इथाईल ऐल्कोहल कंटेंट को छोड़कर, टेबल वाइन के मानकों के अनुरूप होंगे।"

(8) सारणी 3 में,

(क) कॉलम संख्या 7 के बाद क्राफ्ट बियर श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

| स्ट्रांग |
|---|
| (8) |
| 5.0 से 8.0 तक |
| 3.3-4.8 |
| 1.8-3.6 |
| 50.0 |
| 2.0 |
| 5.0 |
| 0.2 |
| 0.25 |
| 0.1 |
| <100 |
| अनुपस्थित |
| अनुपस्थित |
| * |

(ख) कॉलम 2 (विशेषताएँ) में,

(i) क्रम संख्या 3 में, "कार्बन डाइऑक्साइड, v/v", न्यूनतम, शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"$CO_2$ या $CO_2$ और $N_2$ गैस का मिश्रण, v/v "

(ii) कार्बन डाइऑक्साइड, v/v, न्यूनतम से संबंधित क्रम संख्या 3 के लिए सारणी 3 के अंत में निम्नलिखित फुटनोट अंतःस्थापित किया जाएगा:

"$CO_2$ और $N_2$ गैस का मिश्रण केवल क्राफ्ट बियर के लिए अनुप्रयोज्य है"।

(iii) "कुल प्लेट गणनांक, सीएफयू प्रति एमएल" से संबंधित क्रम संख्या 10 के लिए निम्नलिखित फुटनोट सारणी 3 के अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा:

"शराब बनाने वाला खमीर सम्मिलित नहीं है"।

(9) सारणी 4 में, "वाइन और बियर के अलावा कम ऐल्कोहोलिक पेय पदार्थों के लिए अपेक्षाएँ" शीर्षक के स्थान पर "रेडी-टू-ड्रिंक / कम ऐल्कोहोलिक पेय पदार्थों के लिए अपेक्षाएँ" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(10) सारणी 4 के बाद, निम्नलिखित अनुबंध डाला जाएगा:

**अनुबंध 1**

**सारणी1:भारतीय शराब की सूची (आसुत शराब)**

| क्रम संख्या | ऐल्कोहोलिक उत्पाद | कच्ची सामग्री और स्टार्टर | अनुपालन हेतु उत्पाद श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1 | अचम | चावल, चमरी | सारणी 1 (5) |
| 2 | अर्क अथवा अरा | जौ, सेब, जंगली खुबानी | सारणी 1 (5) |
| 3 | अरक अथवा होर-अलंक | चावल, थाप | सारणी 1 (5) |
| 4 | आरा | अनाज, पा, पी | सारणी 1 (5) |
| 5 | बसी | चावल | सारणी 1 (5) |
| 6 | बट्टा सराय | साफ आसुत शराब; ऐल्कोहल युक्त पेय | सारणी 1 (5) |
| 7 | दारु | अनाज | सारणी 1 (5) |
| 8 | हंडिया | चावल, रानु | सारणी 1 (5) |
| 9 | हड़िया | चावल तथा भाकर अथवा दबाई अथवा मोड़ पीठा | सारणी 1 (5) |
| 10 | जुहारो | चावल, हुमाओ | सारणी 1 (5) |
| 11 | कियाड | चावल, थियाट | सारणी 1 (5) |
| 12 | मड्डा फेनी | काजू फल | सारणी 1 (5) |
| 13 | मधु | चावल, खेखरी | सारणी 1 (5) |
| 14 | मडुआ अपोंग | रागी, फैब | सारणी 1 (5) |
| 15 | महुआ | मधुका लोंगिफोलिया और रानू के सूखे कोरोला | सारणी 1 (5) |
| 16 | नवा सागर/कंडा सराय | गुड़, शीरा/खांड | सारणी 1 (5) |
| 17 | शियांग्रे | लाल चावल | सारणी 1 (5) |
| 18 | रक्सी | अनाज तथा मार्चा | सारणी 1 (5) |
| 19 | रक्ज़ू | चावल तथा दौदीम | सारणी 1 (5) |
| 20 | रुही | चावल | सारणी 1 (5) |
| 21 | सूर | फल तथा कीम | सारणी 1 (5) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | तिन-ज़ु | चावल तथा दौदीम | सारणी 1 (5) |
| 23 | टॉडी शराब | आसुत ताड़ रस से निर्मित | सारणी 1 (5) |
| 24 | शाज पानी/कोलोह पानी | चावल, शाज पिट्ठा | सारणी 1 (5) |
| 25 | यू | चावल, हमेई | सारणी 1 (5) |
| 26 | ज़ू | चावल | सारणी 1 (5) |
| 27 | ज़ूपुई | चावल तथा दौदीम | सारणी 1 (5) |

**सारणी 2: भारतीय शराब की सूची (अनासुत शराब)**

| क्रम संख्या | ऐल्कोहोलिक उत्पाद | कच्ची सामग्री और स्टार्टर | अनुपालन हेतु उत्पाद श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1 | अंगूरी या किन्नौरी | अंगूर | सारणी 2 [सफेद वाइन (3)तथा लाल वाईन (4)] |
| 2 | चुल्ली | खुबानी | सारणी 2 (7) |
| 3 | घण्टी | सेब और खुबानी | सारणी 2 (7) |

**सारणी 3: भारतीय शराब की सूची (कम अल्कोहालिक पेय)**

| क्रम संख्या | ऐल्कोहोलिक उत्पाद | कच्ची सामग्री और स्टार्टर | अनुपालन हेतु उत्पाद श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 1 | अपोंग अथवा एन्नोग | चावल, अपोप पीठा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 2 | अटिंग्बा | चावल, हमी | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 3 | अहोम | चावल और वेकुरपिठा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 4 | भाटी जान | चावल, मार्चा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 5 | भांग-च्यांग | मक्का, चावल/जौ तथा फैम | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 6 | बूज़ा | जौ | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 7 | छांग/च्यांग/ची/कोदो को जान | रागी/जौ तथा फैब | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 8 | छिंद | छिंद का अर्क (फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस) | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 9 | चक्ति | गुड़ | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 10 | देकुइजाओ | चावल | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 11 | डुइज़ोउ | लाल चावल, खेखरी | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 12 | एन्नोग | काला चावल, फुट | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 13 | फापर को जान | कुट्टू, मार्चा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 14 | गहूं को जान | गेहूं, मार्चा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 15 | जन्न या जान | चावल, गेहूं और अन्य अनाज तथा बालम | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 16 | जाओ को जान | जौ, मार्चा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 17 | झारा | चावल, दबई रानू | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | जौ | चावल, खेखरी | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 19 | जौ बिशी | चावल, अंगकुर | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 20 | जुदिमा | चावल, हुमाओ | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 21 | जुनिंग | चावल | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 22 | कोदो को जान | रागी और मार्चा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 23 | खोर | अंकुरित चावल | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 24 | कांजी | चुकंदर गाजर की जड़ और तोरमी | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 25 | लंगी | चावल, चवन | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 26 | लाओपानी | चावल, पीठा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 27 | लुगरी | जौ | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 28 | मिंगारी/लोहपानी | मक्का, चावल अथवा जौ और फैम | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 29 | मकई को जान | मक्का, मार्चा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 30 | नुईजाओ | चावल | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 31 | न्योंगिन | चावल, ओपोप | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 32 | ओआ | चावल-पट्टिका मिश्रण, पा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 33 | ओपो | चावल-बाजरा और | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 34 | पचवाई | चावल, भाकर | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 35 | पातसो | चावल, चमरी | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 36 | पेंडम | चावल, जड़ी बूटी, रानू अथवा भाकर | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 37 | फीजु | चावल का छिलका,<br>खाई | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 38 | पोना/पोन | चावल | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 39 | राक | सेब, जंगली बादाम, खुबानी और गुड़ तथा फैब | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 40 | सेज़ | चावल | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 41 | सुजेन | चावल और मोद पीठा अथवा पेरोक कुशी | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 42 | सुरा | रागी | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 43 | सिमल तरुल को जान | कसावा कंद और मार्चा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 44 | सिरा-ओआ | चावल-पट्टिका मिश्रण, पा | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 45 | थेम्सिंग | रागी/जौ | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 46 | टिमपुई | चावल, खाई | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 47 | वैयू | चावल, भूसी, खाई | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 48 | यू अंगौबा | अंकुरित चावल | सारणी 4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 49 | जौंगाँव | अंकुरित चावल | सारणी4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 50 | जुथो/जुचु | चावल, खिखरी | सारणी4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |
| 51 | जुफांग | चिपचिपे चावल तथा दौदीम | सारणी4 (कम ऐल्कोहल, ~4-5%) |

**टिप्पण:** किसी अन्य अधिनियम और विनियम द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले, इस अनुबंध की सारणी 1, 2 एवं 3 में विनिर्दिष्ट उत्पाद इन विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./100/2023-24]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2/एसए-24/2009(1)/एफएसएसएआई दिनांक 19 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या फा. सं. एसटीडीएस/एसपी (वॉटर एवं बीवरेज)/अधिसूचना (1)/एफएसएसएआई-2019 दिनांक 18 दिसंबर एवं फा. सं. एसटीडी/एसपी-21/टी(अल्कोहल -5) दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2023

**F. No. STD/SP-21/T(Alcohol-6).—**The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002, or may be sent through email at regulation@fssai.gov.in.

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations, before the expiry of period so specified above, shall be considered by the Food Authority.

**Draft regulations**

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2023.

2. In the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018,–

(1) inPart-1,

(a) in regulation 1.2 relating to ‘Definitions’, after sub-regulation1.2.12, following shall be inserted, namely, -

“1.2.12a. “Ready-to–drink/ Low alcoholic beverages, shall be low alcoholic, flavored beverages having more than 0.5 to 8.0% of alcohol ABV, made from spirit or the mixture of spirit or any alcoholic beverage other than wine and beer as base by adding natural/nature identical/artificial flavors and/or food additives permitted under the FSS (FPS&FA) Regulations 2011; and/or fruit/vegetable juice with or without added sugar/salt and with or without carbonation. In case of carbonated ready-to-drink (RTD) /low alcoholic beverages, they shall be carbonated with carbon dioxide. However,the carbonated RTD /low alcoholic beverages shall have a minimum of one volume of carbon dioxide. It shall conform to the requirements of Table-4]”.

(b) in regulation 1.3, in sub-regulation 1.3.9, the proviso starting with "Alcoholic beverage containing" and ending with "the requirements of Table-4", shall be substituted with the following, namely, -

"Alcoholic beverage containing more than 0.5 per cent abv but not more than 8.0 per cent abv may be called as Ready-to–drink/ low alcoholic beverage. It shall conform to the definition provided under regulation 1.2 and the requirements of Table-4.

Product name/Ingredients/Raw materials for such products are placed at Annexure-1 of these regulations, which are not exhaustive."

(2) in Part2, regulation 2.2 related to Country Liquors shall be substituted with the following namely, -

"2.2 Country liquors/Indian Liquors: Country liquors/Indian Liquors or spirits are alcoholic beverages obtained from distillation of fermentable carbohydrates of agricultural origin. Country liquors/Indian Made Liquors may also be of the following types:

2.2.1 Plain country liquors/Plain Indian liquors: Plain country liquors/Plain Indian liquors shall be made from alcoholic distillate obtained from fermented molasses, jiggery (Gur), mash of cereals, potato, cassava, fruits, juice or sap of coconut and palm trees, mahua flowers or any other carbohydrates of agricultural origin.

2.2.2 Blended country liquors / Blended Indian liquors: Blended country liquors /Blended Indian liquors is a blend of an alcoholic distillate, rectified spirit or neutral spirit.

Country liquors/Indian liquors shall also conform to the general requirements pecified in Part 1 and requirements specified in Table – 1. Product name/Ingredients/Raw materials for such products are placed at Annexure-1 of these regulations, which arenot exhaustive."

(3) in Part-3, in regulation 3.1,

(a) after the proviso starting with "A season's yield of wine" and ending with "vintage wine", the following shall be inserted, namely, -

"Product name/Ingredients/Raw materials for such products are placed at Annexure-1 of these regulations, which are not exhaustive."

(b) in sub-regulation 3.1.4, the heading "Wine from fruits other than grapes" shall be substituted with the following, namely, -

"Fruit Wine (other than grape wine) along with Honey wine".

(c) in sub-regulation 3.1.4, after clause 3.1.4.3,following shall be inserted, namely, -

"3.1.4.4 Honey wine/ Mead: Honey wine / Mead is a wine produced from the fermentation of an aqueous solution of honey by yeasts without addition of any other carbohydrate source. It shall conform to the requirements provided under Table-2."

(d) sub-regulation 3.1.5, shall be substituted with the following, namely, -

"Wine from other agricultural and plant sources (WAPS)

Wine from other agricultural and plant sources may be produced by the normal alcoholic fermentation of the juice or sap or whole grains or other agricultural and plant sources with or without the addition of sugar or jaggery. It may include the following:"

(e) in sub-regulation 3.1.6, related to Wine Based Beverages, ending with words "or any other approved substance", following shall be inserted, namely, -

"Wine Based Beverages may or may not becar bonated."

(5) in Part 4, in regulation 4.2, related to Draught beer, after sub-regulation 4.2 (1) related to Craftbeer, following shallbe inserted, namely, -

"4.2 (1) (i) Nitro Craft Beer-NitroCraft Beer is the craft beer having the mixture of CO2 and N2 gas."

(6) in the Table no. 2,

(a) Column no. 7, in the heading, after the words "Fruit Wine (other than grape wine)", the following shall be inserted, namely, -"alongwith Honey wine".

(b) Column 5 in the heading Country Liquor or Plain Country Liquor shall be amended as follows:Country Liquor/Indian Liquor or Plain Country Liquor/ Plain Indian Liquor.

(c) Column 6 row No.1 Blended Country Liquors shall be amended as follows:Blended Country Liquors/ Blended Indian Liquors

(7) in Table 2, the foot note starting with words “wine based beverages” and ending with “ethyl alcohol content”, shall be substituted with the following, -

“Wine based beverages shall comply with the standards of table wine, except the characteristic ethyl alcohol content.”

(8) in Table 3,

(a) after column No. 7, following shall be inserted under Craft beer category:

| Strong |
|---|
| (8) |
| Morethan 5.0 up to 8.0 |
| 3.3-4.8 |
| 1.8-3.6 |
| 50.0 |
| 2.0 |
| 5.0 |
| 0.2 |
| 0.25 |
| 0.1 |
| <100 |
| Absent |
| Absent |
| * |

(b) in Column 2 (Characteristics),

(i) in S. No. 3, the words “Carbon dioxide, v/v”, Min, shall be substituted with following, namely, -

“$CO_2$ or Mixture of $CO_2$ and $N_2$ gas v/v”

(ii) for S. No. 3, related to Carbondioxide, v/v, Min, following footnote shall be inserted at the end of the Table 3:

“Mixture of $CO_2$ and $N_2$ gas is applicable only for craft beer”.

(iii) for S.No.10, related to“ Total plate count, CFU perml”, following foot note shall be inserted at the end of the Table 3:

“Does not include Brewer’s yeast”.

(9) in Table 4, the heading “Requirements for Low Alcoholic Beverages other than wine and beer” shall be substituted with “Requirements for Ready-to–drink/Low alcoholic beverages”.

(10) After Table 4, the following Annexure shall be inserted:

***Annexure-1***

**Table1:ListofIndianLiquors(Distilled Liquor)**

| Sl. No. | Alcoholic products | Raw materials and Starter | Product category tocomply |
|---|---|---|---|
| 1 | *Acham* | Rice, *chamri* | Table 1(5) |
| 2 | *Ark* orara | Barley, apple, wildapricot | Table 1(5) |
| 3 | *Arak*or*Hor-Alank* | Rice, *Thap* | Table 1(5) |
| 4 | *Aara* | Cereals, paa, pee | Table 1(5) |
| 5 | *Basi* | Rice | Table 1(5) |
| 6 | *BattaSarai* | *Clear distilled liquor; alcoholic drink* | Table1(5) |
| 7 | *Daru* | Cereal | Table 1(5) |
| 8 | *Handia* | Rice, ranu | Table 1(5) |
| 9 | *Haria* | Rice and bhakar or dabai or modpitha | Table 1(5) |
| 11 | *Juharo* | Rice, humao | Table 1(5) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | *Kiad* | Rice, *thiat* | Table 1(5) |
| 13 | *Maddafeni* | Cashewfruit | Table 1(5) |
| 14 | *Madhu* | Rice, khekhrii | Table 1(5) |
| 15 | *MaduaApong* | Fingermillet, phab | Table 1(5) |
| 16 | *Mahua* | Driedcorollasof Madhucalongifolia and ranu | Table 1(5) |
| 17 | *NavaSagara/kandasarai* | Jaggery, Molasses | table1(5) |
| 18 | *Nchiangne* | Redrice | Table 1(5) |
| 19 | *Raksi* | Cerealsandmarcha | Table 1(5) |
| 20 | *Rakzu* | Riceand*dawdim* | Table 1(5) |
| 21 | *Ruhi* | Rice | Table 1(5) |
| 22 | *Soor* | Fruitsand *keem* | Table 1(5) |
| 23 | *Tin-zu* | Riceanddawdim | Table 1(5) |
| 24 | *Toddyliquor* | Made from distilled palm sap | table1(5) |
| 25 | *Xajpani/kolohpani* | Rice, *xajpittha* | Table 1(5) |
| 26 | Yu | Rice, *hamei* | Table 1(5) |
| 27 | *Zu* | Rice | Table 1(5) |
| 28 | *Zupui* | Rice and dawdim | Table 1(5) |

**TableII:ListofIndianLiquor(Undistilled Liquor)**

| S. No. | Alcoholic products | Raw materials and Starter | Product category to comply |
|---|---|---|---|
| 1 | *Angooriorkinnauri* | Grapes | Table 2 [White Wine (3) and Red Wine (4)] |
| 2 | *Chulli* | Apricot | Table 2(7) |
| 3 | *Ghanti* | *Appleandapricot* | Table 2(7) |

**TableIII:ListofIndianLiquor(LowAlcoholicBeverage)**

| S. No. | Alcoholic products | Raw materials and Starter | Product category tocomply |
|---|---|---|---|
| 1 | *Apongorennog* | Rice, *Apoppitha* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 2 | *Atingba* | Rice, *hamei* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 3 | *Ahom* | Rice and *vekurpitha* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 4 | Bhaatijaanr | Rice, marcha | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 5 | *Bhang-chyang* | Maizerice/barley and pham | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 6 | *Buza* | Barley | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 7 | *Chhang/Chyang/Chee/ Kodokojaanr* | Fingermillet/barley and *phab* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 8 | *Chhind* | Extractedsap of chhind (Phoenixsylvestris) | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 9 | *Chakti* | Jaggery | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 10 | *Dekuijao* | Rice | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 11 | *Duizou* | Redrice, khekhrii | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 12 | *Ennog* | Blackrice, phut | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | *Faaparkojaanr* | Buckwheat, marcha | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 14 | *Gahoonkojaanr* | Wheat, marcha | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 15 | *Jannorjaan* | Rice, wheat and other cereals and balam | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 16 | *Jaokojaanr* | Barley, marcha | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 17 | *Jhara* | Rice, dabairanu | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 18 | *Jou* | *Rice, khekhrii* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 19 | JouBishi | Rice, angkur | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 20 | *Judima* | Rice, *humao* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 21 | *Juhning* | Rice | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 22 | *Kodokojaanr* | Fingermillet and *marcha* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 23 | *Khor* | Germinated rice | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 24 | *Kanji* | Beetcarrot root and torami | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 25 | *Langi* | Rice, chowan | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 26 | *Laopani* | Rice, *pitha* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 27 | *Lugri* | Barley | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 28 | *Mingari/Lohpani* | Maize, rice orbarley andpham | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 29 | *Makaikojaanr* | Maize, *marcha* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 30 | *Nduijao* | Rice | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 31 | *Nyongin* | Rice, *opop* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 32 | *Oa* | Rice-filletmixture, *paa* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 33 | *Opo* | Rice-milletand | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 34 | *Pachwai* | Rice, *bhakar* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 35 | *Patso* | Rice, *chamri* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 36 | *Pendum* | Rice, herbs, ranuorbhakar | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 37 | *Pheijou* | Rice, husk,<br>*khai* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 38 | *Pona/Pone* | Rice | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 39 | *Rak* | Apple, wildalmond, apricot and jiggery and phab | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 40 | *Sez* | Rice | Table 4 (Low-alcohol,~4- |
| 41 | *Sujen* | Rice and *modpitha or perokkushi* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 42 | *Sura* | Fingermillet | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 43 | *Simaltarulkojaanr* | Cassavatuber and *marcha* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 44 | *Sira-Oa* | Rice-filletmixture, paa | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 45 | *Themsing* | Fingermillet/barley | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 46 | *Timpui* | Rice, *khai* | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 47 | *Waiyu* | Rice, husk, khai | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 48 | *Yu angouba* | Germinatedrice | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 49 | *Zoungao* | Germinatedrice | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |
| 50 | *Zutho/Zhuchu* | Rice, *khekhrii* | Table 4 |
| 51 | *Zufang* | Sticky rice and dawdim | Table 4 (Low-alcohol, ~4-5%) |

**Note :** Products specified in Table 1, 2 & 3 of this Annexure, governed by any other Act and Regulations are exempted from the provisions of these Regulations.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./100/2023-24]

**Note :** The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2/SA-24/2009(1)/FSSAI, dated 19th March, 2018 and subsequently amended vide notification No. F. No. Stds/SP (water and Beverages)/Notification (1)/FSSAI-2019 dated 18th December, 2020 and F. No. Std/SP-21/T(Alcohol-5) dated 10th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.